जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–107 / 2023

उपस्थिति– श्री लाल चन्द्र, (अध्यक्ष)
श्रीमती संचिता श्रीवास्तव, (सदस्या)

राजेश सिंह पुत्र स्व0 सुरेश सिंह निवासी ग्राम–नैनुआ सलेमपुर, परगना–करारी, तहसील–मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी। .....परिवादी।

बनाम

1– अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–चायल, जनपद–कौशाम्बी।

2– उपखण्ड अधिकारी विद्युत उपखण्ड–सरायअकिल, जनपद–कौशाम्बी।

.....विपक्षीगण।

परिवाद संस्थित होने की तिथि :– 01–08–2023

परिवाद निर्णीत होने की तिथि :– 07–11–2023

श्री लाल चन्द्र, (अध्यक्ष) द्वारा उद्घोषित :–

निर्णय

01– परिवादी द्वारा यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्ध, इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी के नाम गलत ढंग से प्रेषित विद्युत बिल मु0 5,37,735 / –रू0 (पॉच हजार सैंतीस हजार सात सौ पैंतीस रू0) निरस्त किया जाय तथा कटे अवधि दिनांक–18.01.2021 से वर्तमान तक का बिल माफ करते हुए संशोधित बिल दिलाया जाय तथा जब से लाइन जोड़ी जाय उसके बाद का बिल लिया जाय तथा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय भी विपक्षीगण से दिलाया जाय।

02–संक्षेप में परिवाद पत्र में परिवादी का अभिकथन है कि परिवादी एक आटा चक्की का कनेक्शनधारी है, जिसका कनेक्शन संख्या / खाता संख्या–741817654282 है। परिवादी के ऊपर उक्त कनेक्शन के बावत जुलाई, 2019 में उस समय मीटर रीडिंग 10898 थी, 58,950 / –रू0 बकाया था, जिसमें परिवादी मु0 52,000 / –रू0 जमा किया था, शेष 6,950 / –रू0 बकाया था। परिवादी स्वयं गम्भीर बीमारी हो जाने के कारण दिनांक–13.01.2021 को मेदान्ता में डॉ0 लोकेन्द्र गुप्ता द्वारा हुए इलाज में लगभग 10

माह तक चला, जिसके कारण इन्होंने आटा चक्की कनेक्शन का बिल जमा नहीं कर सका और परिवादी का विद्युत कनेक्शन दिनांक–18.01.2021 को बकाये पर लाइन काट दी गयी। परिवादी के आटा चक्की का विद्युत कनेक्शन दिनांक–18.01.2021 से वर्तमान तक लाइन विच्छेदित है, जिस पर परिवादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांक–23.06.2023 व ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर के ग्राम प्रधान द्वारा लिखा गया लेटर पैड दिनांक–17.07.2023 जिस पर लिखा गया है कि उपभोक्ता का कनेशन विद्युत विच्छेदन पर्ची उस मय बकाया मु0 127871/–रू0 था, जिसका क्रमांक संख्या–812 है, दिनांक–18.01.2021 से आज दिनांक–17.07.2023 तक कटा हुआ है, जिसे मैं भली भॉति जानती हूँ, इनके द्वारा विद्युत विच्छेदन पर्ची भी मुझे दी गयी है, राजेश सिंह पुत्र सुरेश सिंह का विद्युत बिल कटे अवधि का माफ/निरस्त कर संशोधित बिल ब्याज रहित उपलब्ध करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान का लेटर पैड दिया गया। कटे अवधि का बिल माफ करते हुए दिनांक–18.01.2021 के पूर्व का बिल व जब से मेरा कनेक्शन चालू किया जाय, उसके आगे का बिल लेने का आदेश विपक्षीगण को किया जाय और विच्छेदन पर्ची के पूर्व का बिल मीटर रीडिंग से लेने का आदेश विपक्षीगण को किया जाय और संशोधित बिल दाखिल करने का भी आदेश किया जाय और वर्तमान में परिवादी को दिनांक 10.07.2023 को विद्युत विभाग का बकाया कटे अवधि का भी बिल जोड़ते हुए मु0 5,37,735/–रू0 (पॉच लाख सैंतीस हजार सात सौ पैंतीस रू0) का प्रेषित किया गया, जिसे निरस्त करने का आदेश विपक्षीगण को किया जाय और कटे अवधि का बिल माफ करते हुए दिनांक–18.01.2021 से वर्तमान तक बिल माफ करते हुए संशोधित बिल विपक्षीगण से दाखिल कराया जाय और जब से लाइन जोड़ी जाय उसके बाद से बिल लेने का आदेश किया जाय। परिवादी के प्रतिष्ठान से मीटर न हटाने का भी आदेश विपक्षीगण को किया जाय और संशोधित बिल ब्याज रहित जमा करते ही परिवादी का विद्युत कनेक्शन जोड़ने का आदेश किया जाय। परिवादी इस सम्बन्ध में कई बार विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क किया जब कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब जाकर परिवादी माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल करने के लिए बाध्य हुआ। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्नक–06, भुगतान पावती की छायाप्रति संलग्नक–07, मेदान्ता हास्पिटल के प्रपत्र की छायाप्रति संलग्नक–08, मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्नक–09, विद्युत विच्छेदन पर्ची की छायाप्रति संलग्नक–10, विपक्षी को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्नक–11, ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्नक–12, विद्युत बिल की छायाप्रति

संलग्नक–13, आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्नक–14, लिखित बहस संलग्नक–23 व 24 दाखिल किया गया है।

03– विपक्षीगण की तरफ से प्रतिवाद पत्र दाखिल कर परिवाद पत्र के पैरा–01 लगायत 04 स्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया है कि परिवादी एक वैध आटा चक्की का कनेक्शनधारी है जिसका खाता संख्या–741817654282 है। विपक्षीगण द्वारा परिवाद पत्र के पैरा–05 को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया है कि अवर अभियन्ता द्वारा परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया परिसर पर मौके पर लाइन कटी पाई गयी, जिनका संयोजन संख्या–741817654282 पर लगा विद्युत मीटर संख्या–26886784 पोल मीटर रीडिंग के0डब्लू0एच0 15998 के0डब्लू0एच0 और के0वी0ए0एच0 23668 पाया गया और दूसरा मीटर मेन मीटर 8543643 रीडिंग 1534 के0डब्लू0एच0 1983 के0वी0ए0एच0 पाया गया। परिसर पर लगा मेन मीटर एक बार बदला जा चुका है। इस प्रकार प्रेषित बिल मु0 5,37,735/–रू0 सही है, जिसे निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विपक्षीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्नक–19, लिखित बहस संलग्नक–20, अवर अभियन्ता सरायअकिल कौशा0 द्वारा दी गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक–21 दाखिल किया गया है।

04– उभयपक्ष की तरफ से लिखित बहस दाखिल किया गया है। हमारे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

05– प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण की तरफ से परिवादी का एक आटा–चक्की का कनेक्शधारी होना स्वीकार किया गया है, जिसका कनेक्शन संख्या/खाता संख्या–741817654282 है। विपक्षीगण की तरफ से यह भी स्वीकार किया गया है कि अवर अभियन्ता द्वारा परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया परिसर पर मौके पर लाइन कटी पाई गयी, जिनका संयोजन संख्या–741817654282 पर लगा विद्युत मीटर संख्या–26886784 पोल मीटर रीडिंग के0डब्लू0एच0 15998 के0डब्लू0एच0 और के0वी0ए0एच0 23668 पाया गया और दूसरा मीटर मेन मीटर 8543643 रीडिंग 1534 के0डब्लू0एच0 1983 के0वी0ए0एच0 पाया गया। यानी परिवादी के परिसर में मीटर लगा हुआ है। प्रथम मीटर खराब होने पर मेन मीटर बदला जा चुका है। परिवादी की तरफ से मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्नक–09 दाखिल किया गया है। परिवादी के परिसर में मीटर लगा हुआ है। मीटर रीडिंग के अनुसार परिवादी विद्युत बिल भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पत्रावली पर विपक्षीगण की तरफ से अवर अभियन्ता की तरफ से स्थलीय जॉच आख्या की छायाप्रति संलग्नक–21 दाखिल किया गया है, जिसके

अनुसार परिवादी के उक्त परिसर का स्थल निरीक्षण किया जिसका विवरण निम्नवत है "नाम राजेश सिंह सुपुत्र स्व0 सुरेश सिंह ग्राम नैनुआ सलेमपुर तहसील मंझनपुर जिला कौशाम्बी इसके परिसर पर मौके पर लाइन कटी पाई गई। विचारणीय प्रश्न यह है कि परिवादी की तरफ से अभिकथन किया गया है कि दिनांक—18.01.2021 से विद्युत कनेक्शन कटा हुआ है। परिवादी विद्युत का उपयोग व उपभोग नहीं कर रहा है, जिससे अवर अभियन्ता की स्थलीय जॉच आख्या संलग्नक—21 से पुष्टि होती है। परिवादी के परिसर में मीटर लगा है। मीटर रीडिंग के अनुसार ही परिवादी से विद्युत बिल वसूल किया जा सकता है। पत्रावली पर विद्युत बिल रसीद संलग्नक—13 मु0 5,37735/—रू0 दाखिल किया गया है, जिसमें दिनांक—12.06.2023 को मीटर रीडिंग 1702 होने का उल्लेख हो रहा है। परिवादी के परिसर में मीटर लगा हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन काटा गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी पूर्व मीटर रीडिंग दिनांक—12.06.2023 के अनुसार ही विद्युत बिल भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः गलत ढंग से जारी विद्युत बिल मु0 5,37,735/—रू0 (पॉच लाख सैंतीस हजार सात सौ पैंतीस रू0) निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किया जाता है। विपक्षीगण द्वारा परिवादी को गलत ढंग से जारी विद्युत बिल मु0 5,37,735/—रू0 (पॉच लाख सैंतीस हजार सात सौ पैंतीस रू0) संलग्नक—13 निरस्त किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि विद्युत कनेक्शन काटने के पूर्व का मीटर रीडिंग दिनांक—12.06.2023 के अनुरूप 1702 यूनिट का संशोधित विद्युत बिल अन्दर सप्ताह परिवादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिसे परिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। तत्पश्चात परिवादी का विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया जाय।

किसी अन्य अनुतोष के संबंध में परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।

दिनांक—07—11—2023

Sanchita 07-11-23

(संचिता श्रीवास्तव)
सदस्या

07/11/23

(लाल चन्द्र)
अध्यक्ष